



दि प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या : PLEXHO/Cir/895

26.02.2026

को,

प्लेक्सकॉन्सिल/सीओए के सभी सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए एफटीए, 2023 के परिशिष्ट-2ए के अंतर्गत अधिसूचित विभिन्न एफटीए के लिए टीआरक्यू आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि में संशोधन।

आपको सूचित किया जाता है कि डीजीएफटी ने एक विज्ञप्ति जारी की है। **सार्वजनिक सूचना संख्या 50/2025-26, दिनांक 24 फरवरी, 2026** संबंधित मुक्त व्यापार समझौतों और उत्पादों के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए टीआरक्यू आवेदनों को जमा करने की अंतिम तिथि के विस्तार के संबंध में। से **28.02.2026 से 15.03.2026 तक।**

इन टीआरक्यू के अंतर्गत सूचीबद्ध वस्तुओं के आयात की प्रक्रिया एफटीपी, 2023 के परिशिष्ट-2ए के संबंधित अनुलग्नकों में निर्धारित व्यवस्थाओं/प्रक्रियाओं के अधीन ही अनुमत होगी।

एफटीपी, 2023 के परिशिष्ट-2ए के अंतर्गत अधिसूचित अन्य सभी नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

इस परिपत्र का प्रभाव:

उपरोक्त मुक्त व्यापार समझौतों/मुक्त व्यापार समझौतों के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए टैरिफ दर कोटा के आवंटन हेतु ऑनलाइन आवेदन 15.03.2026 को या उससे पहले जमा किए जाने चाहिए।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे यहां दी गई विस्तृत सार्वजनिक सूचना में सूचीबद्ध उत्पाद को देखें।

https://membership.plasticsepc.org/mails_images/20260225124938.pdf

यह आपकी जानकारी के लिए है।

साभार

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)

प्लेक्सकॉन्सिल

